Byo Post

कार्यालय कमिश्नर, शहडोल संभाग शहडोल (म0प्र0)

क्रमांक–02 / पुनर्विलोकन / 12–13 173 शहडोल, दिनांक 12.12.2012

प्रति,

खिबिच 281-II/13

अवर सचिव,
माननीय न्यायालय
राजस्व मण्डल, म0प्र0
मोतीमहल, ग्वालियर

राजस्व मण्डल 3765 आवक क्र. दिनांक 26-12-12 मध्यप्रदेश ग्वालियर

PP-2177/8048
26-12-12

विषयः– कलेक्टर उमरिया का प्रकरण क्रमांक–184 / स्व.पुन. / 2004–05 आदेश दिनांक 30.03.2009 आवेदक म0प्र0 शासन बनाम ज्ञानवती शर्मा पति राजाराम शर्मा निवासी ग्राम मानपुर तहसील मानपुर जिला उमरिया के प्रकरण में पुनर्विलोकन अनुमति दिये जाने बावत्।

---00---

निवेदन है कि कलेक्टर उमरिया द्वारा दर्शायी गई स्थिति से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तत्कालीन कलेक्टर द्वारा दिनांक 30.03.2009 को पारित आदेश का पुनः परीक्षण म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–51 के अंतर्गत किया जाए।

अतः यह प्रकरण कलेक्टर उमरिया को उनके पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2009 को पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु निवेदन सहित मूल प्रकरण राजस्व मण्डल की ओर प्रेषित।

संलग्नः– प्रकरण क्रमांक 184 / स्व.पुन. / 2004–05
पृष्ठ ~~01 से 48~~ तक 1 से 22 - 45
प्रकरण क्रमांक 56 / अ–19(4) / 98–99
पृष्ठ 01 से 22 तक

आ/क्र०क० 173 18/12/12

(राजकुमार कोरी) 18/12/12
उपायुक्त(विकास/राजस्व)
शहडोल संभाग शहडोल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 281/दो/2013 विविध जिला उमरिया

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	तत्कालीन कलेक्टर जिला उमरिया व्दारा प्रकरण कमांक 184/2004–05 स्व0पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 30–10–1999 को पुनरावलोकित किये जाने की अनुमति हेतु कलेक्टर उमरिया ने प्रकरण कमांक 2/12–13 पुनर्विलोकन में प्रस्ताव दिनांक 6–7–2012 आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के माध्यम से प्रस्तुत किया है , जिसे आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने अनुसॅशा दिनांक 3–12–2012 सहित अग्रेषित किया है। 2/ पुनरावलोकन अनुमति दिये जाने के पूर्व म.प्र. शासन के पैनल लायर एंव अनावेदक को सुनना चाहा, किन्तु पेशी 16–1–18 से सूचना होने के वाद् भी उभय पक्ष अनुपस्थित रहे हैं फलतः प्रकरण गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करने हेतु नियत किया गया। 3/ तत्कालीन कलेक्टर जिला उमरिया व्दारा प्रकरण कमांक 184/2004–05 स्व0पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 30–10–1999 , कलेक्टर जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 2/12–13 पुनर्विलोकन में प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 6–7–2012 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तत्का. कलेक्टर के आदेश दिनांक 30–10–99 में लिपिकीय त्रुटि से ग्राम खुटार की भूमि सर्वे कमांक	

128/1 रकबा 1–910 हैक्टर के बजाय सर्वे कमांक 130/1 रकबा 0.910 त्रुटि से टंकित हुआ है जिसके सुधार करने वावत् प्रस्ताव प्रस्तुत कर पुनरावलोकन की अनुमति मांगी गई है । टंकण त्रुटि सुधार हेतु पुनरावलोकन की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है। तद्नुसार पुनरावलोकन अनुमति प्रदान करते हुये कलेक्टर जिला उमरिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाय। प्रकरण अंक से कम किया जाकर रि.रुम में जमा किया जाय।

सदस्य